न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 20 / 2021

उनवान

करणी सिंह बनाम गीता

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त फरमाने मौका रिपोर्ट (अदिनांकित)

—: आदेश :— दिनांक :— 24.5.22

अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक राजगढ द्वारा पक्षकारान को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये तथा पक्षकार की अनुपस्थिति में प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट तैयार की है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता नही होना अंकित किया है जबकि प्रार्थी की आराजी के समीप खसरा नम्बर 622 रेकार्डेड रास्ता है। प्रार्थी व उसके पिता द्वारा इसी रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। वादग्रस्त समस्त आराजी तालाब पेटे की है जिन में पानी भरा रहता है। उक्त समस्त बिन्दुओ को नजरअंदाज कर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। अतः उक्त मौका रिपोर्ट निरस्त फरमायी जावे।
अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब नही देकर सीधी बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि मौका रिपोर्ट अप्रार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। पक्षकार को अपना पक्ष रखने का अवसर नही दिया गया है अतः मौका रिपोर्ट निरस्त किये जावे।
दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी है। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नियमानुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विलम्ब के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट निरस्त कर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाती है तो प्रकरण में विलम्ब होगा ऐसी स्थिति में न्यायालय स्वयं द्वारा आराजी मुतनाजा का मौका निरीक्षण किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को उपस्थित रहने हेतु सूचित नही किया है। मौका रिपोर्ट में भी पक्षकारान को सूचित करने का तथ्य अंकित नही है। मौका रिपोर्ट उभयपक्ष को सूचित करने के बाद ही [illegible] जानी थी। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठायी गयी आपत्ति न्या[illegible] विचाराधीन है। पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने से विलम्ब की आशंका से [illegible] नही किया जा सकता है। अतः प्रकरण के न्यायिक व त्वरित निस्तारण हेतु पूर्व मौका रिपोर्ट को निरस्त किया जा[illegible] तथा हाजा न्यायालय स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने के आ[illegible] किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक राजगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निरस्त की जाती है। प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा स्वयं के मौका निरीक्षण हेतु दिनांक 07.06.22 नियत की जाती है। उभयपक्षकार सूचित रहे तथा खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested